4784

विक्रय—पत्र

मालियत विक्रय पत्र.................................. 78,500/-

बाजारी मूल्य जिस पर स्टाम्प दिया है.................. 78,500/-

स्टाम्प शीट की संख्या.................................. 7 शीट

स्टाम्प शुल्क...............11,400/- आवास विकास शुल्क सहित ......कुल स्टाम्प का योग.............. 11,400/-

मैं/हम कि 1- अक्षर कुमार पुत्रश्री हनुमान दास निवासी, सपाटू सौलन हि0प्र02- श्री प्रवीन अग्रवाल पुत्रश्री हरीचन्द अग्रवाल निवासी, 133, गढी कैन्ट, देहरादून द्वारा अपने मुख्तारेआम श्री सुरेशचन्द अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री मंगल चन्द निवासी, 25-जी, गढी कैन्ट, देहरादून

निम्नलिखित सम्पत्ति वाके.................................

मौजा कौलागढ मयचकभूड ,परगना केन्द्रीयदून जिला देहरादून

के मालिक व काबिज है और हमारी वह सम्पत्ति हर प्रकार के भार व रहन से मुक्त है उसको बदस्त श्री...........

श्री विश्वकान्त ,नौटियाल पुत्रश्री चन्द्रमोहन नौटियाल निवासी, 4/3,गोरखा राईफल्स द्वारा 56 ए.पी.ओ. तथा लोकल पता डा0 विमल नौटियाल ,20,बलबीररोड देहरादून

विक्रय कर दिया है बदले में विक्रय धन 78,500/-रुपये.................................

..................................को निम्न प्रकार वसूल पाया..................................

चैक द्वारा पूर्व प्राप्त कर लिये है

विवरण सम्पत्ति.............................वाके ....

अन्त में दिया गया है

Shanel

18 DEC 1996

00AA 465236

विक्रय पत्र
========

हम कि 1- अक्षर कुमार पुत्रश्री हनुमान दास निवासी सपाटूसौलन हि०प्र० 2- प्रवीन अग्रवाल पुत्रश्री हरीचन्द अग्रवाल निवासी, 133, गढी कैन्ट, देहरादून द्वारा अपने मुख्तारेआम श्री सुरेशचन्द अग्रवाल पुत्रस्व० मंगल चन्द निवासी, 25 जी, गढीकैन्ट, देहरादून {मुख्तारेआम दिनांक 21 मई 1996 जिसकी रजिस्ट्री बहीनं04 जिल्द 1 के पृष्ठ 106 एफा०बुकनं० 4 जिल्द 50 के पृष्ठ 521/534 में नं0 288 पर दिनांक 22.5.96 को कार्यालय सब रजिस्ट्रार देहरादून में विधिवत पंजीकृत हुई है} के है। .... विक्रेतागण

जो कि हम विक्रेतागण निम्न विवरण भूमि, जिसका पूर्ण विवरण इस विक्रय पत्र के अन्त में दिया गया है के तनहा, मालिक काबिज भूमिधर स्वामी है हम विक्रेतागण ने निम्न विवरण भूमि अन्य भूमि सहित बजरिये विक्रय पत्र दिनांक 9.2.93 जिसकी रजि-स्ट्री बहीनं0 1 जिल्द 1 के पृष्ठ 109 एफा0बुकनं0 1 जिल्द 199 के पृष्ठ 119/139 में नं0 826 पर दिनांक 12.2.93 को कार्यालय सब रजिस्ट्रार देहरादून में हुई को इसके पूर्व भूस्वामी श्री रघुवीर सिंह आदि से क्रय की थी और क्रय करने की तिथि से निम्न विवरण भूमि हम विक्रेतागण के कब्जे व स्वामित्व में चली आ रही है तथा हम विक्रेतागण का नाम राजस्व अभिलेखों में बतौर भूमिधर स्वामी दर्ज चला आ रहा है तथा भूमि हर प्रकार के

Bhand

500 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु.　Rs. 500

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

भार-बन्धन, रहन , विक्रय, ऋण, कुर्की, जमानत, विवादों आदि से मुक्त व रहित है । तथा हम विक्रेतागण को निम्न विवरण भूमि को हर प्रकार हस्तान्तरण आदि करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

और जो कि हम विक्रेतागण ने निम्न विवरण भूमि को विक्रय करने की बातचीत क्रेता के साथ तैय की है अतः इसी पूर्ति में यह विक्रय पत्र सम्पन्न किया जा रहा है ।

अतएव अब हम विक्रेतागण ने अपने स्थिर मन, बुद्धि व इन्द्रियों की स्वस्थ दशा में बिना किसी के सिखलाये, बहकाये व बिना किसी दबाव के वरन् अपनी स्वतंत्र इच्छा से निम्न विवरण भूमि बदस्त श्री विश्वकान्त नौटियाल पुत्रश्री चन्द्रमोहन नौटियाल निवासी, 4/3 गोरखा राईफल्स द्वारा 56 ए.पी.ओ. स्थानीय पता द्वारा डॉ0 विमल नौटियाल 20 बलवीर रोड, देहरादून को मु0 78,500/-अठहत्तर हजार पांच सौ रुपये प्रतिफल के बदले में विक्रय कर दी है और कुल विक्रय मूल्य हम विक्रेतागण ने क्रेता से द्वारा चैक पूर्व प्राप्त कर लिये है जिसकी प्राप्ति हम विक्रेतागण को एतद्द्वारा स्वीकार है कीमत के मद्दे लेना कुछ भी शेष नही रहा है ।

Bharel

500Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु. Rs. 500

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

कब्जा हम विक्रेतागण ने विक्रीत सम्पत्ति से हर प्रकार से अपना हटाकर व उठाकर क्रेता का मौके पर अपने तुल्य करा दिया है जो जो अधिकार विक्रीत भूमि के बाबत मुझ विक्रेता को प्राप्त है अथवा भविष्य में प्राप्त होने संभव हों, उन सबके मालिक आज से क्रेता हो गये है ।

क्रेता को अधिकार होगा कि वह विक्रीत भूमि से जिस प्रकार चाहें लाभ उठावें, अपने उपयोग व उपभोग में लावें, निर्माण बनावें, काश्त करें, रिहायश करें, तथा अन्य किसी व्यक्ति को विक्रय तथा अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित करें, इसमेंहम विक्रेतागण व हमारे किसी उत्तराधिकारी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही होगी।

यदि भविष्य में हम विक्रेतागण के स्वामित्व अधिकार दोष के कारण विक्रीत भूमि या उसका कोई भाग क्रेता के कब्जे व स्वामित्व से निकल जाये तो ऐसी दशा में क्रेता को अधिकार होगा कि वह निकले हुए भाग भूमि की कीमत मय हर्जा-खर्चा के हम विक्रेतागण से प्राप्त कर लें ।

Bhand

100 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु. Rs 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

क्रेता को अधिकार होगा कि वह राजस्व अभिलेखों में विक्रीत भूमि से हम विक्रेतागण का नाम खारिज कराकर अपना नाम बतौर मालिक भूमिधर दर्ज करा लें।

यदि भविष्य में क्रेता के स्वामित्व अधिकार की पुष्टि के लिए हम विक्रेतागण से अन्य लेख लिखाने अथवा हमारे बयान देने की आवश्यकता होगी तो हम विक्रेतागणऐसी समस्त कार्यवाही क्रेता के व्यय पर करने के लिए सदैव तैयार रहेगें।

आज तक के समस्त कर व लगान विक्रेतागण अदा करेगें और आज के बाद के समस्त कर व लगान आदि अदा करने की जिम्मेदारी क्रेता की रहेगी।

विक्रीत भूमि की तैयशुदा कीमत मु0 78,500/-रूपये है जो कि निर्धारित सर्किल रेट से बहुत अधिक है अत: इसी मालियत पर नियमानुसार स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

इस विक्रय पत्र में जहां-जहां शब्द विक्रेतागण एवं क्रेता प्रयुक्त हुए है वहां-वहां सन्दर्भानुसार दोनों के उत्तराधिकारी, हित प्रतिनिधि सादर समझे जायेगें।

Bhand

100Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु.

Rs 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

"विवरण विक्रीत भूमि"

भूमिखसरा नं0 280 रकबा 0.015 एकड़ व खसरा नं0 281/2 रकबा 0.04 एकड़ कुल रकबा 0.055 एकड़ अर्थात 2400 वर्गफीट अर्थात 222.96 वर्गमीटर स्थित ग्राम कौलागढ मयचकभूड परगना केन्द्रीयदून जिला देहरादून जिसकी सीमायें व पैमायश निम्न प्रकार है :-

उत्तर में - कॉमन पैसेज, सीमा मैंनाप 40 फीट

दक्षिण में - भूमि अक्षर कुमार, सीमा मैंनाप 40 फीट

पूरब में - भूमि अक्षर कुमार, सीमा में नाप 60 फीट

पश्चिम में - भूमि विश्वकान्त नौटियाल, सीमा मैंनाप 60 फीट

जो संलग्न मानचित्र में लाल रंग से घिरी दर्शाई गई है।

वांछित विवरण :-

विक्रेतागण ने विक्रीत भूमि को विक्रय करने हेतु आवश्यक विक्रय अनुमति अन्तर्गत धारा 26 जिसका क्रमांक 628/26/96 जो कि क्रमांक सं0 7226/628/26/96 दिनांक 17.7.96 द्वारा आदेश निस्तारित हो चुके है।

विक्रीत भूमि अधिकतम जोत सीमा के अन्तर्गत नही है।

विक्रेतागण अनुसुचित जाति एवं जनजाति से सम्बन्धित नही है।

Bhanot

100 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु. Rs 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

विक्रीत भूमि मुख्य मार्ग से एक किमी0 से अधिक अन्दर ग्रामीण क्षेत्र में नगरपालिका क्षेत्र से बाहर स्थित है ।

विक्रीत भूमि के बाबत पूर्व में कोई इकरारनामा सम्पन्न नही हुआ था ।

विक्रेतागण का मुख्तारेआम आज भी जीवित व प्रभावी है ।

विक्रेतागण के मुख्तारेआम की फोटो श्री राकेश अग्रवाल, एडवोकेट द्वारा सत्यापित है ।

100Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु.

Rs 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवें । इतिलिखित दिनांक 19.12.96 स्थान देहरादून ।

ह0.....Chand.. विक्रेतागण
द्वारा मुख्तारेआम

Krishan Kumar Aggarwal
साक्षी-1
S/o Late Ch. Mangal Chand
Birpur Estate
Dehra Dun Cantt

साक्षी-2

रचियता- श्री राकेश अग्रवाल, एडवोकेट, देहरादून

टाईपकर्ता- बी. नौटियाल, देहरादून

SITE PLAN OF LAND FORMING PART OF KH. NO:. 280 & 281/2 SITUATED AT MAUZA KAULA GARH MAY CHAK BHOOR, P. CENTRAL DOON. D. DUN.

SOLD BY:. SH. ACHHER KUMAR & SH. PRAVEEN KUMAR THROUGH THEIR ATTORNEY SURESH CHAND AGARWAL

SOLD TO:. SH. VISHWA KANT NAUTIYAL.

SOLD AREA SHOWN RED

TOTAL SOLD AREA: 222.96 SQ MT OR 0.055 ACRE.

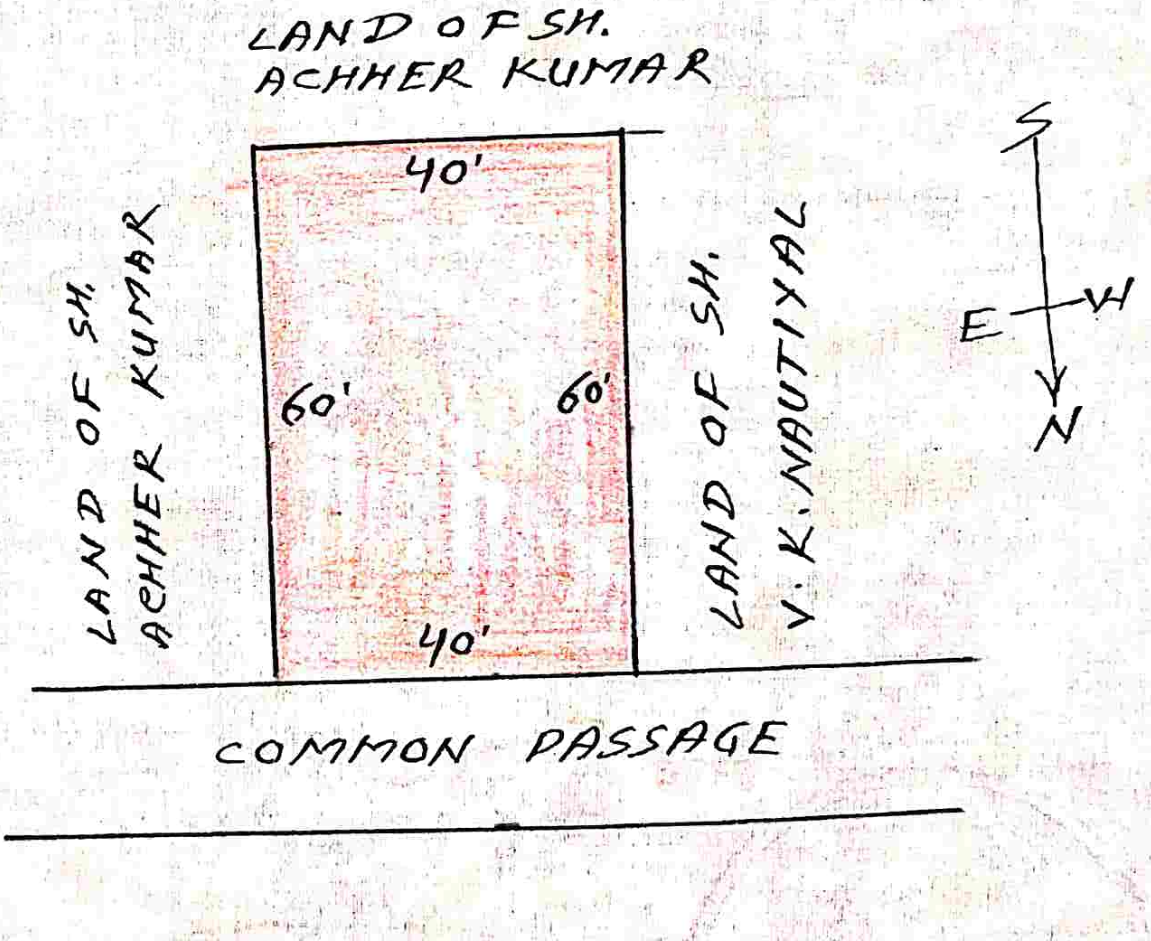

SIG. OF SELLER

उद्धरण षष्ठ वार्षिक खतौनी ग्राम [illegible] परगना [illegible] तहसील जिला देहरादून १४०३ से १४०८ फ० तक

खाते खतौनी की संख्या	खातेदार का नाम, पिता का नाम निवास स्थान	भौतिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल हैक्टेयर	मालगुजारी	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं का सारांश आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद जो रजिस्टर कानूनगो द्वारा स्वीकृत हुए						टिप्पणी
						सन	फसली	सन	फसली	सन	फसली	
							1403 फ		to	1408 फ		
1	2	3	4	5	6	7	8 1404 फ	9	10	11 1405 फ	12	13
266	अशोक कुमार पुत्र हनुमान दास [illegible] / सोनल व प्रवीण अग्रवाल पुत्र हरीचन्द अग्रवाल नि० 133 गली [illegible] ([illegible])	[illegible]	122च	0.2460	11.64	आदेश एन.टी. दि. 174/6.3.97 (खाता 26 के अन्तर्गत नम्बर 125च/.022 है [illegible] बाकी [illegible] कुमार प्रवीण अग्रवाल पुत्रगण [illegible] [illegible] [illegible] ... 785007/- [illegible] 10/3/97			आदेश एन.टी. दि. 175/4.3.97 (खाता 26 के अन्तर्गत नम्बर 125च/.045 है [illegible] बाकी [illegible] कुमार प्रवीण अग्रवाल पुत्रगण [illegible] ... 156500/- [illegible] 10/3/97			

[illegible] 10/3/97

517

न्यायालय नायब तहसीलदार देहरादून

वाद सं० 143 वर्ष 97 ग्राम [illegible] परगना [illegible]

विजय कान्त नौटियाल वादी अफसर कुमार प्रतिवादी

विक्रेता अफसर कुमार पुत्र हनुमान दास [illegible]

[illegible] द्वारा [illegible]

क्रेता पं० विजय कान्त नौटियाल पुत्र [illegible]

[illegible] 96 बलबीर रोड देहरादून

वाद अन्तर्गत धारा ३४ भू राजस्व अधिनियम । दाखिल/खारिज नामान्तरण हेतु

सर्व साधारण को इतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वादी ने विक्रय पत्र/दान पत्र/वसीयत/बटवारा/नाप के आधार पर उक्त ग्राम के भूमि

खसरा नं० 280 — 0.95
281 — 0.16

एवं क्षेत्रफल के दाखिल खारिज नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है इस आवेदन-पत्र पर यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो दिनांक 15-2-97 को स्वयं या अपने द्वारा अधिकृत अधिवक्ता/व्यक्ति के माध्यम से दिन के ११ बजे उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें ।

आज दिनांक 14-1-97 को अदालत की मोहर से जारी किया गया

एक प्रति लेखपाल को ।

ग्राम प्रधान को सूचना दी जाये ।

प्रतिलिपि सेवा में प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

तहसील, देहरादून

520

न्यायालय नायब तहसीलदार देहरादून

वाद सं० 174 वर्ष 97 ग्राम कौलागढ़ चक परगना

विश्वकान्त नौटियाल वादी अक्षय कुमार प्रतिवादी

विक्रेता अक्षय कुमार पु० [illegible] लि० [illegible] पु० [illegible] अग्रवाल [illegible] अग्रवाल [illegible] द्वारा सुरेशचन्द पु० [illegible]

क्रेता श्री विश्वकान्त नौटियाल पु० चन्द्रमोहन नौटियाल नि० २० बलबीर रोड देहरादून

वाद अर्न्तगत धारा ३४ भू राजस्व अधिनियम। दाखिल/खारिज नामान्तरण हेतु

सर्व साधारण को इतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वादी ने विक्रय पत्र/दान पत्र/वसीयत/बटवारा/नाप के आधार पर उक्त ग्राम के भूमि खसरा नं० 280 — 0.015
281 0.04

एवं क्षेत्रफल के दाखिल खारिज नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है इस आवेदन-पत्र पर यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो दिनांक 15-2-97 को स्वयं या अपने द्वारा अधिकृत अधिवक्ता/व्यक्ति के माध्यम से दिन के ११ बजे उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें।

आज दिनांक 14-1-97 को अदालत की मोहर से जारी किया गया एक प्रति लेखपाल को।

ग्राम प्रधान को सूचना दी जाये।

प्रतिलिपि सेवा में प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

[illegible] सक्सेना
तहसील

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

517

न्यायालय नायब तहसीलदार देहरादून

वाद सं० 173 वर्ष 97 ग्राम धौलास पछवादून परगना ...

विश्वकान्त नौटियाल वादी अजय कुमार प्रतिवादी

विक्रेता अजय कुमार पु० हनुमान दास नि० 7 ही० पु० पूर्वी० ... द्वारा मुख्तार आम अनुपम ... 25 ...

क्रेता श्री विश्व कान्त नौटियाल पु० श्री चन्द्र मोहन नौटियाल 4 बलबीर रोड देहरादून

वाद अन्तर्गत धारा ३४ भू राजस्व अधिनियम। दाखिल/खारिज नामान्तरण हेतु

सर्व साधारण को इतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वादी ने विक्रय पत्र/दान पत्र/वसीयत/बटवारा/नाप के आधार पर उक्त ग्राम के भूमि खसरा नं० 280 — 0.15
281 — 0.4

एवं क्षेत्रफल के दाखिल खारिज नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है इस आवेदन-पत्र पर यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो दिनांक 15-2-97 को स्वयं या अपने द्वारा अधिकृत अधिवक्ता/व्यक्ति के माध्यम से दिन के ११ बजे उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें।

आज दिनांक 14-1-97 को अदालत की मोहर से जारी किया गया एक प्रति लेखपाल को।

ग्राम प्रधान को सूचना दी जाये।

प्रतिलिपि सेवा में प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

राजेन्द्र ... तहसील, देहरादून

520

न्यायालय नायब तहसीलदार देहरादून

वाद सं० 174 वर्ष 97 ग्राम धौलास पछवादून परगना

विश्वकान्त नौटियाल वादी अजय कुमार प्रतिवादी

विक्रेता अजय कुमार पु० हर ... नि० 7 ही० पु० पूर्वी० ... द्वारा मुख्तार आम ...

क्रेता श्री विश्वकान्त नौटियाल पु० चन्द्रमोहन नौटियाल 4 बलबीर रोड देहरादून

वाद अन्तर्गत धारा ३४ भू राजस्व अधिनियम। दाखिल/खारिज नामान्तरण हेतु

सर्व साधारण को इतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वादी ने विक्रय पत्र/दान पत्र/वसीयत/बटवारा/नाप के आधार पर उक्त ग्राम के भूमि खसरा नं० 280 — 0.015
281 — 0.04

एवं क्षेत्रफल के दाखिल खारिज नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है इस आवेदन-पत्र पर यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो दिनांक 15-2-97 को स्वयं या अपने द्वारा अधिकृत अधिवक्ता/व्यक्ति के माध्यम से दिन के ११ बजे उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें।

आज दिनांक 14-1-97 को अदालत की मोहर से जारी किया गया एक प्रति लेखपाल को।

ग्राम प्रधान को सूचना दी जाये।

प्रतिलिपि सेवा में प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

राजेन्द्र ... तहसील,